

न्यायालय राजस्व मंडल महोदय म.प्र. ग्वालियर

28

प्रकरण क्रमांक /07 निगरानी

निगरा 1934-II/07

1. परिमाल सिंह
2. जगन्नाथ सिंह
3. उम्मेद सिंह
4. मातादीन
5. रामवीर सिंह
6. पंजाब सिंह पुत्रगण जनवेदसिंह
जाति गुर्जर, ठाकुर निवासी— ग्राम
झौड़ पगरना जौरा जिला मुरैना म.प्र.

.....अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. सामलिया पुत्र अंधू
2. रामसिंह पुत्र कलुआराम
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र कलुआराम
समस्त जाति ब्रा. निवासी— ग्राम
विलगावं चौधरी, तहसील, जौरा जिला
मुरैना म.प्र.....प्रतिअपीलार्थीगण

Rajendra Singh (A.I.)
12/12/07

निगरानी आधीन धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता व नाराजी
आदेश दिनांक 26.09.07 जो न्यायालय अपर आयुक्त महोदय
चम्बल संभाग मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 312/05-06 /अपील
व उनमान परमाल सिंह बनाम सामलिया में पारित कर अपीलार्थी
की द्वितीय अपील निरस्त की व न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/04-05 /अपील माल में
पारित आदेश तारीखी 19.06.06 इसके द्वारा रेस्पांडेंट की प्रथम

28-4-1

-

1934-15/07 (377)

29

गुरु गुरु गुरु

S-4-18

Answers of section 3(1) to
Ques. 1 itself is legal
but not correct. It has not
been mentioned -

शास्त्रेशमुख्या—75—फॉर्म्स—17-^o अक्टूबर १९३२ दो रुपये R. 1932/17.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1934-II-107 जिला गोंडा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| | <p>को १०५ रुपये इन्द्र इला रवांडा पुरावाली को जावदक बोर्ड लकड़ी के बड़े बड़े बड़े बड़े और जावदक बड़े बड़े बड़े बड़े को जावाली को पुरावाली लकड़ी एवं लकड़ी को जावाली लकड़ी पर्सिया को जावाली लकड़ी जावा जावा</p> | |